


बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक- 24 / 8 / 2015
संचिका संख्या-17/कोर्ट -33/2015 - 502 (17) / स्वा0, एम0जे0सी0सं0-5990/2012, (सी0डब्लू0जे0सी0सं0-13528/2012 से उत्पन्न) विजय नारायण राय बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक-30.8.2012 के आलोक में डा0 रंजन कुमार सिंह, उपाधीक्षक, पी0एम0सी0एच0, पटना को तत्कालिक प्रभाव से मुख्यालय (स्वास्थ्य विभाग) में पदस्थापन की प्रतीक्षा में योगदान देने का आदेश दिया जाता है। इनके पदस्थापन संबंधी कार्रवाई प्रशाखा-03 द्वारा की जायेगी।

प्रस्ताव में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(सुरेश कुमार शर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :-17/कोर्ट -33/2015 - 502 (17) पटना, दिनांक :- 24/8/15

प्रतिलिपि :-महालेखाकार(ले0एवंह0) बिहार, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-जिला कोषागार पदाधिकारी पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-प्राचार्य, पी0एम0सी0एच0, पटना, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-अधीक्षक, पी0एम0सी0एच0, पटना, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
उनसे अनुरोध है कि डा0 रंजन कुमार सिंह, उपाधीक्षक, पी0एम0सी0एच0, पटना, को मुख्यालय (स्वास्थ्य विभाग) बिहार, पटना में योगदान करने हेतु अविलंब विरमित कर दें।

प्रतिलिपि :-प्रधान सचिव के निजी सहायक/संयुक्त सचिव के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-04, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि एम0जे0सी0 सं0-5990/2012 विजय नारायण राय बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में शीघ्र प्रतिशपथ पत्र दायर करने की कार्रवाई करें।

प्रतिलिपि :-प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-03, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। डा0 सिंह को आवश्यकतानुसार रिक्त पद पर पदस्थापित करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि :- डा0 रंजन कुमार सिंह, उपाधीक्षक, पी0एम0सी0एच0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।